

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 13433/2026

Ankush Baghla S/o Rakesh Baghla, Aged About 31 Years, R/o
Mehtab Colony, Ward No. 6, Sri- Ganganagar, Rajasthan.

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Principal Secretary,
Department Of Revenue, Government Of Rajasthan,
Jaipur (Rajasthan).
2. Deputy Secretary, Department Of Revenue (Group-1),
Government Of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan.
3. District Collector, Sri-Ganganagar, Rajasthan.

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Kanishk Singhvi, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

03/07/2026

कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप का निराकरण किया जाता है।

याची पक्ष द्वारा निलंबन आदेश को चुनौती दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में उनका निवेदन है कि चूंकि याची के विरुद्ध आरोप पत्र पेश हो चुका है, अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के प्रकाश में दिनांक 11.06.2026 को याची द्वारा निलंबन वापिस लिये जाने हेतु प्रतिवेदन पेश किया है, जो अभी तक लंबित है।

इस स्टेज पर याचिका के गुण दोषों पर बल नहीं दिया जाता है तथा यह सीमित निवेदन है कि प्रतिवेदन को निश्चित समय अवधि में निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया जावे।

संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अयाची को आदेश दिया जाता है कि याची पक्ष द्वारा इस आदेश की प्रति पेश किये जाने की दिनांक

से यथासंभव 45 दिन में याची पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2026 का सम्यक् रूप से निस्तारण किया जावे।

इसी अनुसार, यह याचिका निस्तारित की जाती है। साथ ही लंबित स्थगन आवेदन भी निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

67-kumawat/-